भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 986
10.02.2025 को उत्तर के लिए

पेरियार नदी में मछलियों के मरने की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने की जांच

986. श्री हैबी ईडनः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हाल ही में 20 मई, 2023 की रात को पेरियार नदी में बड़ी संख्या में मछलियों के मरने की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को वर्ष 2024 के दौरान पेरियार नदी में मछलियों के मरने से जुड़ी घटनाओं की संख्या की जानकारी है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने मछलियों के मरने की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने के मुख्य कारणों की पहचान की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा इस नदी में औद्योगिक बहिस्रावों के छोड़े जाने की निगरानी और नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है:
(ङ) क्या सरकार ने पशु वसा प्रसंस्करण इकाई में हुए विस्फोट और उसके पश्चात् एडयार में एक रासायनिक इकाई में लगी आग की जांच की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या इस क्षेत्र में पर्यावरणीय विनियमों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले उद्योगों के विरुद्ध कोई शास्तियां अथवा कार्रवाई की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग)

केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 20 मई, 2024 की मध्यरात्रि को मछलियों के मरने की घटना देखी गई, जिससे अगले दिन दोपहर तक पूरा क्षेत्र प्रभावित हो गया। केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी) की निगरानी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और नदी में पानी की सतह पर विभिन्न प्रकार की मृत मछलियों को बहते हुए देखा। पानी के नमूनों का विश्लेषण करने पर, घुलित ऑक्सीजन (डीओ) का स्तर मछलियों के जीवित रहने के लिए आवश्यक स्तर से कम पाया गया। यह बताया गया कि दिनांक 20.05.2024 को अपराह्न 3 बजे, सिंचाई विभाग ने तेज बारिश होने के कारण पथलम रेगुलेटर सह ब्रिज के 3 शटर खोल दिए थे। इसके बाद रेगुलेटर के ऊपरी हिस्से से कम घुलित ऑक्सीजन स्तर वाला पानी छोड़े जाने के साथ-साथ डाउन स्ट्रीम में पानी के तेज बहाव के परिणामस्वरूप मछलियां मर गई थीं। दिनांक 20.05.2024 को बेट्टुकटाव में

किए गए विश्लेषण के अनुसार, उपर्युक्त गतिविधियों के कारण रात तक घुलित ऑक्सीजन का स्तर 6.8 मिग्रा/ली. से घटकर 3.2 मिग्रा/ली. हो गया था। यह पहले भी देखा गया है कि गर्मी के मौसम में बांध के लंबे समय तक बंद रहने के कारण जैविक अपशिष्ट नदी के ऊपरी हिस्से में पहुंच जाता है, जिसके कारण जैविक नुकसान होता है और परिणामस्वरूप रेगुलेशन ब्रिज के पास घुलित ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जांच से पता चला है कि बांध के खुलने से पानी के अचानक, लगातार और तेज बहाव के कारण डाउनस्ट्रीम में घुलित ऑक्सीजन (डीओ) की मात्रा में तेजी से गिरावट आई और इसी कारण यह घटना हुई। पेरियार नदी में मछलियों के मरने की केवल एक घटना हुई है और वह दिनांक 20.05.2024 को हुई थी।

(घ) से (च)

भारत सरकार ने नदी में औद्योगिक अपशिष्टों के छोड़े जाने की निगरानी और नियंत्रण के लिए पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-I: 'विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषक तत्वों के उत्सर्जन या निस्सरण के मानक' के अंतर्गत पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले तत्वों के निस्सरण और उत्सर्जन के लिए उद्योग-विशिष्ट मानकों को अधिसूचित किया है। अब तक 46 औद्योगिक क्षेत्रों के बहि:स्राव मानकों सहित 79 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए उद्योग-विशिष्ट पर्यावरण मानकों को अधिसूचित किया गया है। जिन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-VI के अंतर्गत अधिसूचित सामान्य मानक लागू हैं। संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति उक्त मानकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है। पर्यावरणीय मानदंडों का पालन न करने की स्थिति में पर्यावरणीय कानूनों के उपबंधों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

केरल राज्य प्रदूषण बोर्ड (केएसपीसीबी) द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, एर्नाकुलम जिले में एलूर-एडयार क्षेत्र केरल का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पेरियार नदी के निचले हिस्सों में दोनों तरफ उद्योग स्थित हैं। बोर्ड ने इन उद्योगों से निकलने वाले सभी प्रकार के अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करने और नदी के संरक्षण तथा परिवेशी वायु को प्रदूषण रहित करने हेतु आसान बनाने और उस क्षेत्र में समग्र पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। इस क्षेत्र में उद्योगों की निरंतर निगरानी के लिए बोर्ड का एक कार्यालय (पर्यावरण निगरानी केंद्र) एलूर में दिन-रात काम कर रहा है।

एलूर-एडयार औद्योगिक क्षेत्र में स्थित उद्योगों का निरीक्षण केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित अनुपालन निगरानी के रूप में किया जाता है। बहिस्राव-उत्पन्न करने वाले उद्योगों की समय-समय पर नमूना लेकर जांच की जाती है और पाए गए किसी भी उल्लंघन के मामले के आधार पर, उल्लंघन करने वाले उद्योगों को पत्र/नोटिस/आदेश/निदेश जारी किए जाते हैं। अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 की अवधि के दौरान एलूर-एडयार औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के विरूद्ध विभिन्न क़ानूनों के तहत की गई कार्रवाई का विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

इसके अलावा, केरल राज्य प्रदूषण बोर्ड ने दिनांक 07.10.2024 को फॉर्मल ट्रेड लिंक्स में बॉयलर एक्सप्लोजन का और दिनांक 07.01.2025 को ज्योतिस इंडस्ट्रीज में आग की घटना का निरीक्षण किया था। संबंधित एजेंसियों द्वारा कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

***

अनुलग्नक I

केएसपीसीबी द्वारा उद्योगों के विरुद्ध विभिन्न कानूनों के तहत की गई कार्रवाई का विवरण

क्रम सं.	उद्योग का नाम	दौरे की तिथि	सहमति की शर्तों का पालन न करने के आधार पर जारी किया गया पत्र / नोटिस / निदेश	उल्लंघन के आधार पर जारी पत्र / नोटिस / निदेश की वर्तमान स्थिति और विवरण
1	मेसर्स प्राइम मेटल कोट्स	08.11.2024	क्लोजर इंटेन्शन नोटिस (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क) जारी किया गया।	अनुपालन नहीं किया गया।
2	मेसर्स मातृभूमि प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड	06.08.2024, 06.09.2024, 23.12.2024	नोटिस जारी।	अनुपालन किया गया।
3	मेसर्स बायोकॉन ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड	29.07.2024, 04.09.2024, 09.10.2024, 19.10.2024, 28.10.2024, 02.12.2024	बंद करने का आदेश (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क के अंतर्गत) जारी किया गया।	उल्लंघन ठीक करने के सत्यापन के बाद बंद करने का आदेश रद्द कर दिया गया।
4	मेसर्स नेशनल इंडस्ट्रीज	04.09.2024, 28.10.2024	बंद करने का आदेश (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क के अंतर्गत) जारी किया गया।	उल्लंघन ठीक करने के सत्यापन के बाद बंद करने का आदेश रद्द कर दिया गया।
5	मेसर्स नेलकादिर बोन	04.09.2024, 28.10.2024	बंद करने का आदेश (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क के अंतर्गत) जारी किया गया।	अनुपालन नहीं किया गया।
6	मेसर्स योमन बोन एंड एलाइड	04.09.2024	बंद करने का आदेश (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क के अंतर्गत) जारी किया गया।	उल्लंघन ठीक करने के सत्यापन के बाद बंद करने का आदेश रद्द कर दिया गया।

7	मेसर्स जेकेएस इंडस्ट्रीज	17.08.2024, 28.09.2024	बंद करने का आदेश (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क के अंतर्गत) जारी किया गया।	अनुपालन किया गया।
8	मेसर्स सनराइज टीएसआर फैक्ट्री	17.08.2024, 28.09.2024, 21.10.2024, 17.01.2024	क्लोजर इंटेन्शन नोटिस (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क) जारी किया गया।	अनुपालन किया गया।
9	मेसर्स महावीर रबर इंडस्ट्रीज	17.08.2024	क्लोजर इंटेन्शन नोटिस (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क) जारी किया गया।	अनुपालन किया गया।
10	मेसर्स एस्सार एंटरप्राइजेज	16.08.2024	क्लोजर इंटेन्शन नोटिस (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क) जारी किया गया।	अनुपालन किया गया।
11	मेसर्स सिया एंटरप्राइजेज	17.08.2024, 28.09.2024, 21.10.2024	क्लोजर इंटेन्शन नोटिस (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क) जारी किया गया।	अनुपालन किया गया।
12	मेसर्स फाइव स्टार इंडस्ट्रीज	17.08.2024	क्लोजर इंटेन्शन नोटिस (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क) जारी किया गया।	अनुपालन किया गया।
13	मेसर्स फॉर्मल ट्रेड लिंक्स एलएलपी	17.08.2024	क्लोजर इंटेन्शन नोटिस (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क) जारी किया गया।	अनुपालन किया गया।
14	मेसर्स गिजास रबर्स	17.08.2024	क्लोजर इंटेन्शन नोटिस (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क) जारी किया गया।	अनुपालन किया गया।
15	मेसर्स पंचमी एग्रो	17.08.2024	क्लोजर इंटेन्शन नोटिस (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क) जारी किया गया।	अनुपालन किया गया।
16	मेसर्स रबर ओ मालाबार	17.08.2024	क्लोजर इंटेन्शन नोटिस (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क) जारी किया गया।	अनुपालन किया गया।

17	मेसर्स एरिस्टो स्टील फैब्रिकेटर्स		क्लोजर इंटेन्शन नोटिस (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क) जारी किया गया।	इकाई अभी चालू नहीं है और सुधार किया जा रहा है।
18	मेसर्स एचआई पावर इंडस्ट्रीज	16.08.2024, 20.12.2024, 03.11.2024	क्लोजर इंटेन्शन नोटिस (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क) जारी किया गया।	अनुपालन किया गया।
19	मेसर्स ऑर्गेनो फर्टिलाइजर्स	04.09.2024, 16.11.2024	क्लोजर इंटेन्शन नोटिस (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क) जारी किया गया।	कार्रवाई की जा रही है।
20	मेसर्स अल्फा क्रम्ब रब	16.12.2024, 21.10.2024, 16.01.2024	क्लोजर इंटेन्शन नोटिस (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क) जारी किया गया।	अनुपालन नहीं किया गया।
21	मेसर्स कोच्चि प्लास्ट सॉल्यूशंस	24.09.2024	नोटिस जारी किया गया।	अनुपालन नहीं किया गया।
22	मेसर्स सिकगिल इंडस्ट्रियल गैसेज लिमिटेड	18.09.2024	नोटिस जारी किया गया।	अनुपालन किया गया।
23	मेसर्स जॉयस इंडस्ट्रीज		नोटिस जारी किया गया।	अनुपालन किया गया।
24	मेसर्स सक्सेस एम्पावरमेंट		नोटिस जारी किया गया।	अनुपालन नहीं किया गया।
25	मेसर्स गायत्री इंडस्ट्रीज		नोटिस जारी किया गया।	अनुपालन किया गया।
26	मेसर्स माइक्रोट्रोल स्टेरिलाइजेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	28.10.2024	नोटिस जारी किया गया।	अनुपालन किया गया।

27	मेसर्स एक्सेलॉन एचआई फैब्स		क्लोजर इंटेन्शन नोटिस (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क) जारी किया गया।	अनुपालन नहीं किया गया, कार्रवाई शुरू की गई।
28	मेसर्स महिंद्रा लॉजिस्टिक्स		क्लोजर इंटेन्शन नोटिस (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क) जारी किया गया।	अनुपालन नहीं किया गया।
29	मेसर्स एशियाटिक प्रोडक्ट्स		क्लोजर इंटेन्शन नोटिस (जल अधिनियम की धारा 33क और वायु अधिनियम की धारा 31क) जारी किया गया।	अनुपालन नहीं किया गया।